आवश्यक दूरभाष क्रमांक

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हेल्पलाईन	15100
चाईल्ड लाईन	1098
महिला हेल्पलाईन	1091
पुलिस सहायता	100
मुख्यमंत्री हेल्पलाईन नं.	181

लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत

(म. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित)

विधिक सहायता हेतु आवेदन/सम्पर्क

उच्च न्यायालय स्तर पर – सचिव/रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति

जिला न्यायालय स्तर पर – अध्यक्ष/सचिव/जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला प्राधिकरण

तहसील न्यायालय स्तर पर – अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

कार्यालय : 574, साउथ सिविल लाइन्स, पचपेढ़ी, जबलपुर

फोन: 0761-2678352, 2624131 फैक्स: 0761-2678537 ईमेल: mplsajab@nic.in

डिस्क्लेमर

इस पुस्तिका में प्रयुक्त विभिन्न चित्र एवं फोटोग्राफ मात्र विषय को संबंधित पाठकों हेतु रोचक बनाने के दृष्टिकोण से इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड किये गये है जो कि मात्र निजी वितरण के प्रयोजन से हैं। उक्त संबंध में इस प्राधिकरण के विरूद्व किसी भी अन्य संस्था, व्यक्ति को विषय सामग्री के व्यावसायिक उपयोग के दावे का अधिकार नहीं होगा।

प्रकाशन समिति

गिरिबाला सिंह
सदस्य सचिव

श्री डी. के. सिंह
अतिरिक्त सचिव

श्री अरविंद श्रीवास्तव
उप सचिव

श्री राजेश सक्सेना
विधिक सहायता अधिकारी

श्री मनीष कौशिक
विधिक सहायता अधिकारी

विशेष सहयोग :
श्री हेमंत जोशी
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़वानी

डिजाइनिंग व मुद्रण :
दि ग्रेनेडियर्स एसोसिएशन प्रिंटिंग प्रेस, जबलपुर
gagrc@hotmail.com, ISO-9001:2015, मो. 09425151241

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाऐं

भारत के संविधान अनुच्छेद 39–क, समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश के कमजोर एवं वंचित वर्गों हेतु विभिन्न योजनाएँ उच्च न्यायालय स्तर से तहसील स्तर तक संचालित की जा रही है, जो निम्न हैं –

- निःशुल्क विधिक सहायता योजना
- निःशुल्क विधिक साक्षरता योजना
- जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना
- परिवारिक विवाद समाधान केन्द्र
- श्रमिकों के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ
- महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई
- विवाद विहीन ग्राम योजना
- मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना (रिमान्ड प्रकरणों में)
- पक्षकारों के मध्य विवादों के वैकल्पिक समाधान संबंधी योजनाएँ : लोक अदालत एवं मध्यस्थता
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवायें) विनियम 2010
- नालसा (विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं में विधिक सेवा क्लीनिक्स) योजना 2013
- मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितो के लिए विधिक सेवायें) योजना 2015
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवायें) योजना 2015
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवायें और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवायें) योजना 2015
- नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभारी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवायें) योजना 2015
- नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवायें) योजना 2015
- नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवायें एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवायें) योजना 2015
- नालसा (मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवायें) योजना 2015
- नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवायें) योजना 2016
- नालसा (एसिड हमलें के पीड़ितों के लिए विधिक सेवायें) योजना 2016
- किशोर न्याय संस्थाओं में विधिक सेवायें

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
(574, साउथ सिविल लाइन्स, पचपेढ़ी, जबलपुर)

मुख्य संरक्षक

माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार मित्तल
मुख्य न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

कार्यपालक अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव
प्रशासनिक न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

सदस्य सचिव

गिरिबाला सिंह
जिला एवं सत्र न्यायाधीश

प्रकाशक

म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

Justice Ajay Kumar Mittal
Chief Justice
and
Patron-in-Chief, MPSLSA

191, South Civil Lines,
JABALPUR - 482 001
Tel. (O) 2626443
(R) 2678855
2626746
Fax 0761 - 2678833

" संदेश "

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा **"लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत"** पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कोविड–19 महामारी की परिस्थिति में भी अपनी रचनात्मकता, सक्रियता के साथ आमजनों के हितार्थ क्रियाशील है। वैकल्पिक विवाद समाधान की तकनीकें न्यायालय में बढ़ते प्रकरणों के बोझ को कम करने व पक्षकारों को विवाद के समाधान में एक निर्णायक पक्ष के रूप में स्थापित करती है। लोकोपयोगी सेवाएँ समाज के कमजोर वर्गों की दैनंदिनी जरूरतों से जुड़ी हुयी अपरिहार्य सेवाएँ हैं, जिनका मानवीय संवेदनाओं के साथ शीघ्र निराकरण आवश्यक है जो लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से संभव है।

प्रस्तुत पुस्तक में लोकोपयोगी सेवाओं की पहुँच आमजन तक सुनिश्चित हो, इस हेतु समस्त आवश्यक प्रक्रिया व अन्य पहलुओं का विवरण सरल भाषा में लेखबद्ध है। साथ ही मैं आशा करता हूँ कि उक्त पुस्तक विषय से संबंधित समस्त हितधारकों को जागरूक कर आम नागरिकों को अपने प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रोत्साहित करने में सफल सिद्ध होगी जिसके लिए मैं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रकाशन समिति को अपनी शुभेच्छा प्रेषित करता हूँ।

Ajay Kumar Mittal
15/07/2020

(अजय कुमार मित्तल)

Justice Sanjay Yadav
Administrative Judge,
High Court of Madhya Pradesh
Executive Chairman,
M.P. State Legal Services Authority
574, South Civil Lines, JABALPUR - 482 001 (M.P.)

Bunglow No. A-5
Judges Enclave, Dumna Road,
Behind Rani Durgawati Vishwavidyala
JABALPUR (M.P.) - 482001
: 0761 - 2678014, 2626983 (O)
: 0761 - 2601433, 2600619 (R)

दिनांक : 20.07.2020

" संदेश "

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 में निहित सर्वाधिक लोकप्रिय वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के लक्ष्य को आत्मार्पित करते हुये लोक अदालतों के गरिमामय सफल आयोजन की विशेष परंपरा मध्यप्रदेश राज्य की रही है।

आज कोविड–19 महामारी के दौर में हमें पक्षकारों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुये लोक अदालतों के सफल आयोजन की परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ ही अंतिम पायदान पर खड़े समाज के कमजोर वर्ग तक निःशुल्क, सक्षम व त्वरित न्याय को पहुँचाने की भी सतत् उत्कंठा है, जिस दिशा में लोक उपयोगी सेवाओं के लिए आयोजित की जाने वाली लोक अदालत अत्यंत प्रभावी है।

प्रस्तुत पुस्तक में लोक उपयोगी सेवाओं के आयोजन के संबंध में विभिन्न मार्गदर्शक विषयों को सरल, सहज एवं तार्किक रूप से संकल्पित किया जाता है, जिस हेतु वर्तमान सदस्य सचिव के मार्गदर्शन में प्रकाशन समिति बधाई की पात्र है।

मुझे आशा ही नही वरन् यह पूर्ण विश्वास है, कि प्रस्तुत पुस्तक लोक उपयोगी सेवाओं हेतु आयोजित होने वाली लोक अदालतों की न केवल बेहतर समझ को विकसित करेगी वरन् न्यायिक जगत, पक्षकारों एवं आम लोगों को भी अपने ज्ञान से आलोकित करेगी।

उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ .....

संजय यादव

(संजय यादव)

अनुक्रमणिका

प्रथम भाग

क्र.	विषय–वस्तु	पृष्ठ क्र.
1	लोक उपयोगी सेवाओं हेतु स्थायी लोक अदालत की स्थापना का विचार	01
2	पी.एल.ए. (पी.यू.एस.) में मामला कौन दायर कर सकता है ?	01
3	पी.एल.ए. (पी.यू.एस.) में किस प्रकार के विवादों को विचार में लिया जा सकता है ?	01
4	लोक उपयोगी सेवाओं के लाभ	01
5	लोकोपयोगी सेवाओं की परिभाषा	02
6	हवाई, सड़क या जल द्वारा परिवहन सेवा	02–03
7	डाक, तार, अथवा दूरभाष सेवा	04–05
8	जनता को विद्युत, प्रकाश या जल की आपूर्ति	06–07
9	सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली	08–09
10	अस्पताल या औषधालय में सेवा	10–11
11	बीमा सेवाएँ	12–13
12	आवास एवं सम्पदा	14–15
13	बैंकिंग एवं वित्त	16–17
14	अन्य सेवाएँ	18
15	लोकोपयोगी सेवाओं के समक्ष आपराधिक मामले	18
16	स्थायी लोक अदालत (पी.यू.एस.) में प्रक्रिया	18
17	पी.एल.ए. (पी.यू.एस.) की शक्तियाँ	19
18	क्या पी.एल.ए. (पी.यू.एस.) द्वारा पारित अवार्ड अंतिम है या अपील करने योग्य है ?	19
19	पी.एल.ए. (पी.यू.एस.) द्वारा पारित अवॉर्ड का निष्पादन	19
20	पी.एल.ए. (पी.यू.एस.) के समक्ष आवेदन कैसे संस्थित/फाइल किया जाए ?	19
21	पी.एल.ए. (पी.यू.एस.) की संरचना	19

* पी.एल.ए. – स्थायी लोक अदालत, पी.यू.एस. – लोक उपयोगी सेवाएँ

द्वितीय भाग

लोकोपयोगी सेवाओं के लिए लोक अदालत की स्थापना, क्षेत्राधिकार व प्रक्रिया से संबंधित जानकारियां व विभिन्न आदेश पत्रिकाओं के प्रारूप

क्र.	विषय–वस्तु	पृष्ठ क्र.
1	लोकोपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत में सुनवाई	23
2	स्थायी लोक अदालत की बैठक का स्थान एवं क्षेत्राधिकार	23–24
3	स्थायी लोक अदालत को किन मामलो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है?	25
4	स्थायी लोक अदालत में आवेदन कौन प्रस्तुत कर सकता है ?	25
5	स्थायी लोक अदालत के लिए आवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ?	25
6	आवेदन में क्या विवरण/प्रारूप होना चाहिये ?	26
7	आवेदन कहॉ पंजीबद्ध होगा ?	26
8	क्या स्थायी लोक अदालत मे सुनवाई में पक्षकार की ओर से अभिभाषक उपस्थित हो सकते है, या पैरवी कर सकते है?	27
9	क्या स्थायी लोक अदालत में प्रस्तुत आवेदन पर कोई न्यायशुल्क देय होगा?	27
10	क्या स्थायी लोक अदालत द्वारा जारी सूचनापत्रो हेतु आदेशिका शुल्क देय होगा ?	28
11	स्थायी लोक अदालत के आदेशानुसार सूचनापत्र कौन जारी करेगा ?	28
12	अनावेदक सूचनापत्र के विधिपूर्ण निर्वाह पश्चात भी अनुपस्थित हो तो क्या होगा ?	29
13	क्या एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जा सकता है ?	29–30
14	अनावेदक की उपस्थिति पश्चात प्रक्रिया	31
15	जहां अनावेदक अधिनिर्णय का पालन नहीं करते वहां प्रवर्तन कौन व कैसे करेगा ?	31–32
16	परिशिष्ट अ–आदेश/निर्देश, परिशिष्ट ब– प्रारूप, परिशिष्ट स– आदेश पत्रावली	33–51

लोक उपयोगी सेवाओं हेतु स्थायी लोक अदालत की स्थापना का विचार

- नियमित अदालतों के कार्यभार को कम करने
- मौजूदा लोक अदालतों की कमियों को दूर करने के लिए
- लोक उपयोगी सेवाओं से सबंधित विवादों का पूर्व–मुकदमेबाजी, सुलह एवं समझौते द्वारा निराकरण हेतु।

(उपरोक्त उददेश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में वर्णित अध्याय VIA में प्रावधान किया गया जो 11 जून 2002 से प्रर्वतन में है)

कौन मामला स्थाई लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवांए) में दाखिल कर सकता है ?

- कोई भी व्यक्ति
- व्यक्तियों का समूह
- कंपनी
- फर्म, निगम या कोई भी अन्य संस्था

(स्वयं कोई भी व्यक्ति या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से)

स्थाई लोक अदालत (लोकोपयोगी सेवाएं) में किस प्रकार के विवादों को विचार में लिया जा सकता हैं ?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 ए(बी) के अधीन विभिन्न लोकोपयोगी सेवाएं चिन्हित हैं।	**सेवाओं के विवादों के लिये** – कोई अवरोध नहीं हैं – उपरोक्त अदालतों में सेवाओं में कमी के विवादों को जो किसी भी मूल्य के हो विचार में इन अदालतों द्वारा लिया जा सकता हैं।
प्री–लिटिगेशन स्तर पर विवाद अर्थात नियमित न्यायालय के समक्ष विवाद के प्रस्तुत किये जाने के पूर्व	**वित्तीय विवादों के लिये** – उपरोक्त अदालतों में 1 करोड़ रुपये तक के मामले विचार में लिये जा सकेगें।

स्थाई लोक अदालत (लोकोपयोगी सेवाएं) के लाभ

- **सरल प्रणाली**– कोई व्यथित पक्ष स्वंय उपस्थित हो सकता हैं।
- **सौहार्दपूर्ण** समझौता या योग्यता आधारित
- प्रक्रियात्मक कानूनों की कठोरता से बाध्य नही हैं।
- **लागत की बचत** – न्यायालय शुल्क का भुगतान करने या अधिवक्ता को संबद्ध करने की आवश्यकता नहीं हैं।
- **अंतिम निराकरण** – कोई अपील नहीं।।

लोकोपयोगी सेवाओं की परिभाषा

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 ए (बी) के अनुसार

1. हवा, सड़क अथवा जल के द्वारा यात्रियों अथवा माल के लिए परिवहन सेवा या
2. पोस्टल, टेलीफोन या दूरभाष सेवा या
3. किसी भी स्थापना द्वारा जनता को विद्युत प्रकाश या जल की आपूर्ति या
4. सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली या
5. अस्पताल या डिस्पेन्सरी में सेवा या
6. बीमा सेवा या
7. आवासीय और संपदा या
8. बैंकिंग एवं वित्त

(केन्द्र या राज्य सरकार लोकहित में अधिसूचना द्वारा किसी अन्य सेवा को उपरोक्त के अधीन घोषित कर सकती हैं)

हवाई, सड़क या जल द्वारा परिवहन संचार

हवा, सड़क या जल द्वारा परिवहन सेवा

विभाग, जिन्हें सम्मिलित किया जा सकता हैं –

- समस्त एयरलाइंस – निजी के साथ ही साथ शासकीय
- सरकारी और निजी यात्री रोडवेज
- सभी ट्रांसपोटर्स
- सभी शिपिंग कपंनियां – निजी के साथ ही साथ शासकीय
- यात्रा अभिकर्ता

विवाद या मुद्दे, जिन्हें इस सेवा श्रेणी के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता हैं –

एयरलाइन्स

- सेवाओं में कमी
- माल का परिदान, अनुबंध या भुगतान के समय की शर्तों के अनुसार न होना।
- सेवा प्रदाता द्वारा कारित ग्राहक को नुकसान या लापरवाही
- भुगतान संबंधी विवाद
- निरस्तीकरण/हवाईजहाज का पुनरीक्षित यात्रा कार्यक्रम/विलंब।
- अंतिम समय पर बैध टिकिट और उचित चेक इन वाले यात्रियों को अत्यधिक बुकिंग या कुछ अज्ञात कारणों से बोर्डिंग से वंचित करना।

सड़क परिवहन

- देर से पहुँचने वाली परिवहन सुविधाएं।
- किसी दुर्घटना के मामलों में परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था करने में परिचारकों की विफलता।
- ड्राइवरों/कंडक्टरों के विरूद्ध नियमों का पालन न करने संबंधी शिकायतें।
- यात्रियों को देय धन वापस करने से इंकार करना।
- परिवहन सुविधाओं की खतरनाक स्थिति।
- किसी यात्री को कोई टिकट दिए बिना किराया स्वीकार करना।
- बुकिंग/भुगतान के समय हुई सहमति के अनुसार माल का परिदान न करना।
- सेवा प्रदाता की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को हुई हानि।

डाक, तार अथवा दूरभाष सेवा

डाक, तार अथवा दूरभाष सेवा

विभाग जिन्हें सम्मिलित किया जा सकता है :-

- भारतीय डाक एवं तार विभाग
- निजी कोरियर सेवाएं/कंपनियां
- बीएसएनएल /एमटीएनएल/प्राइवेट सेल ऑपरेटर्स।
- दूरभाष लाइनों द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाता।

विवाद या मुद्दे, जिन्हें इस सेवा श्रैणी के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता हैं -

डाक / तार / कोरियर सेवाएं

- कोरियर द्वारा गलत परिदान।
- पैकेजों के परिदान में देरी या अपरिदान।
- गलत पते पर टेलीफोन बिलों का परिदान।
- प्रेषित सामानों के परिदान में देरी से ग्राहक को नुकसान।
- असमय परिदान से ग्राहक को कारित नुकसान।

दूरभाष सेवाएं

- फोन कंपनी द्वारा टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में हुए विलंब।
- मासिक बिलों में फोन एवं इंटरनेट कंपनियों द्वारा अधिक चार्ज करना।
- टेलीफोन सेवाओं में कमी/अदक्षता
- एक ऐसी सेवा के लिये बिलिंग, जिसे उपभोक्ता/ग्राहक ने हस्ताक्षर नही किया है।
- कंपनियों के सहायता केन्द्रों द्वारा विस्तारित अवधि के लिए रोकी गई सेवाएं
- आवासीय क्षेत्र, स्कूल या अन्य ऐसे स्थानों पर टेलीफोन टॉवर के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरे।
- टेलीफोन/इंटरनेट बिलों के भुगतान में उपभोक्ता की चूक।

जनता को विद्युत, प्रकाश या जल की आपूर्ति

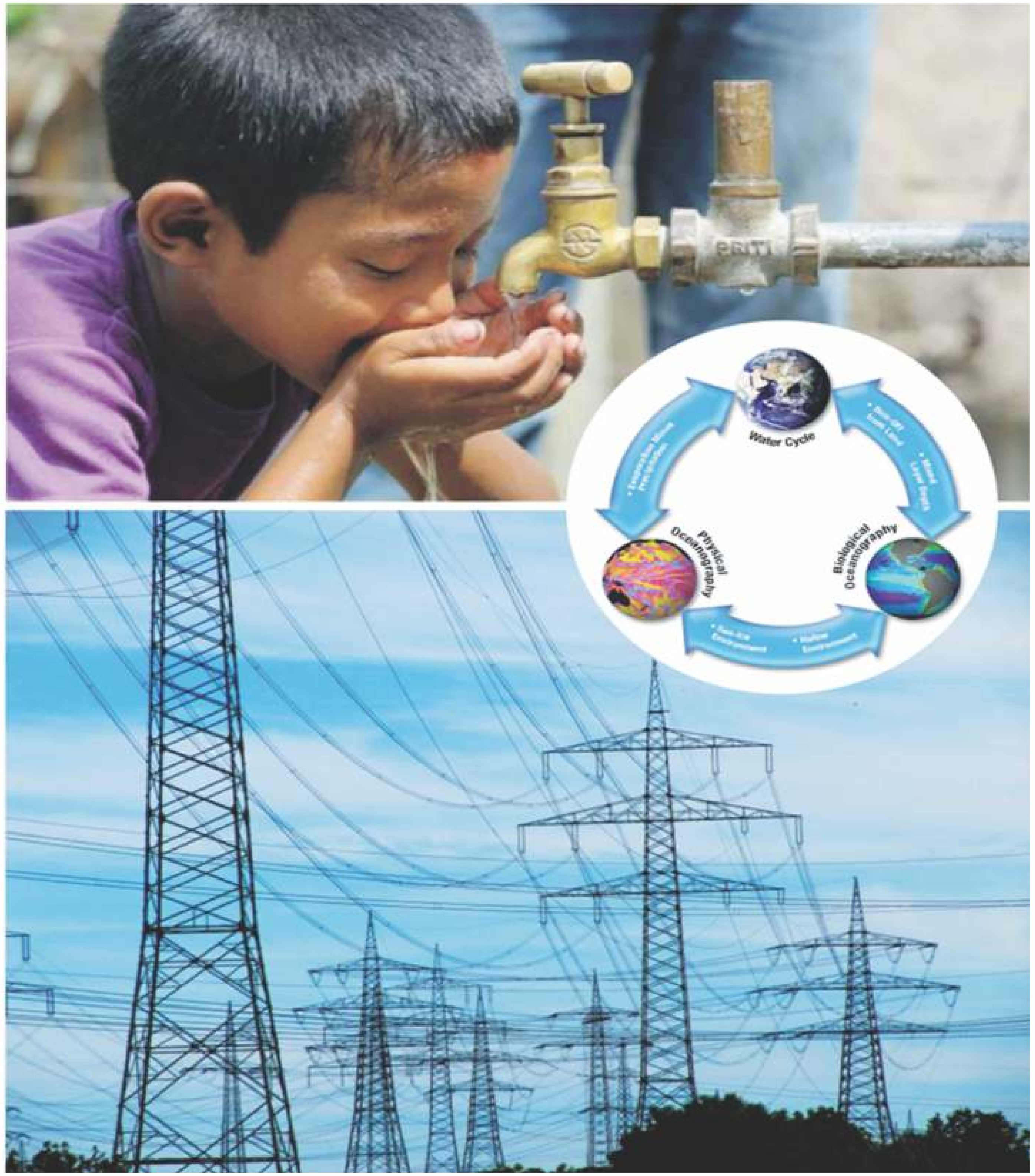

आम जनता को विद्युत, प्रकाश या जल की आपूर्ति

विभाग, जिन्हें सम्मिलित किया जा सकता है –

- राज्य विद्युत बोर्ड
- सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग
- एमसीएफ/एचयूडीए
- नगर समितियां/नगर निगम
- निजी ठेकेदार जो इन उपयोगी सेवाओं के प्रदान करने में संबद्ध हैं।
- ताप गृह (सरकारी स्वामित्व या निजी)
- केन्द्रीय सिचांई एवं विद्युत बोर्ड।
- जल आपूर्ति विभाग।

विवाद या मुद्दे, जिन्हे इस सेवा की श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता हैं –

- विद्युत या जल कनेक्शन में देरी
- त्रुटिपूर्ण जल शुल्क या विद्युत मंडल द्वारा अनुचित बिलिंग
- विद्युत कनेक्शन/जल कनेक्शन को अवैधानिक तरीके से काटा जाना।

- विद्युत मण्डल द्वारा लगाया गया अनुचित जुर्माना एवं उपकर
- विद्युत कनेक्शन/जल कनेक्शन के हस्तांतरण में देरी।
- विद्युत /जल की अनियमित आपूर्ति संबंधी मुद्दे।

- विद्युत प्रतिभूतियों की वापसी में देरी।
- विद्युत/जल की अनुपलब्धता जैसे मुद्दे।
- स्ट्रीट लाईट के मुद्दे।
- कुओं की अनाधिकृत खुदाई।
- अस्वास्थ्यकर एवं दूषित पेयजल।
- अनुज्ञेय सीमा से अधिक मात्रा में उपभोक्ता द्वारा जल का दुरूपयोग।
- जल आपूर्ति लाइनों को उपभोक्ता द्वारा कारित नुकसान।

- विद्युत खंभों में प्रवाहित विद्युत आपूर्ति लाइनों द्वारा मानव/जानवरों को कारित मृत्यु।
- उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान न किया जाना।
- उपभोक्ता द्वारा विद्युत मीटर एवं विधुत आपूर्ति लाइनों से छेड़छाड।
- उपभोक्ता द्वारा विभागीय उपकरणों/खंभो/ विद्युत आपूर्ति लाइनों इत्यादि को कारित क्षति
- मीटर वाचक द्वारा विद्युत मीटर में यूनिट का गलत वाचन किया जाना।

सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली

सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली

विभाग, जिन्हें सम्मिलित किया जा सकता है :-

- एम.पी.एच.आई.डी.सी./एम.पी.यू.डी.सी./एम.पी.एस.आई.डी.सी.
- स्वास्थ्य विभाग
- निजी धूल एकत्रित करने वाली कपंनियां/ठेकेदार
- नगर समिति/परिशद/निगम
- निजी बिल्डर्स/कोलोनाइजर्स
- सार्वजनिक संरक्षण प्रणाली /स्वच्छता की दशाओं को बनाए रखने हेतु
- जिम्मेदार कोई सरकारी विभाग या अन्य एंजेंसी।
- पर्यावरण विभाग/वन एवं वन्य जीवन
- कारखाने के मालिक /व्यक्ति जो स्वच्छता सम्बंधी समस्याएं उत्पन्न करते हैं।

विवाद या मुद्दे, विभाग जिन्हें इस सेवा श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है :—

- सड़कों पर जल जमाव/नालियों की समस्या।
- अनाधिकृत/निषिद्ध क्षेत्रों में कचरे का इकट्ठा एवं एकत्रित किया जाना।
- सामान्य स्वच्छता या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे (मच्छर इत्यादि कीड़ो को मारने/भगाने हेतु रसायन का छिड़काव।
- अवैध मैनहोल्स/सड़को की खुदाई।
- कचरा—डिब्बा एवं बाक्स को स्थापित नहीं किया जाना।
- सडकों एवं जल निकासी व्यवस्था की खराब सफाई।
- वन भूमि का अंधाधुंध क्षरण एवं पेड़ो के कटाव द्वारा कारित पर्यावरणीय अव्यवस्था।
- अवैध खनन।
- लोक स्थानों में किसी व्यक्ति द्वारा कचरा फेंकने से स्वास्थ्य को कारित खतरा।
- सड़क के अवरोध।

अस्पताल या औषधालय में सेवा

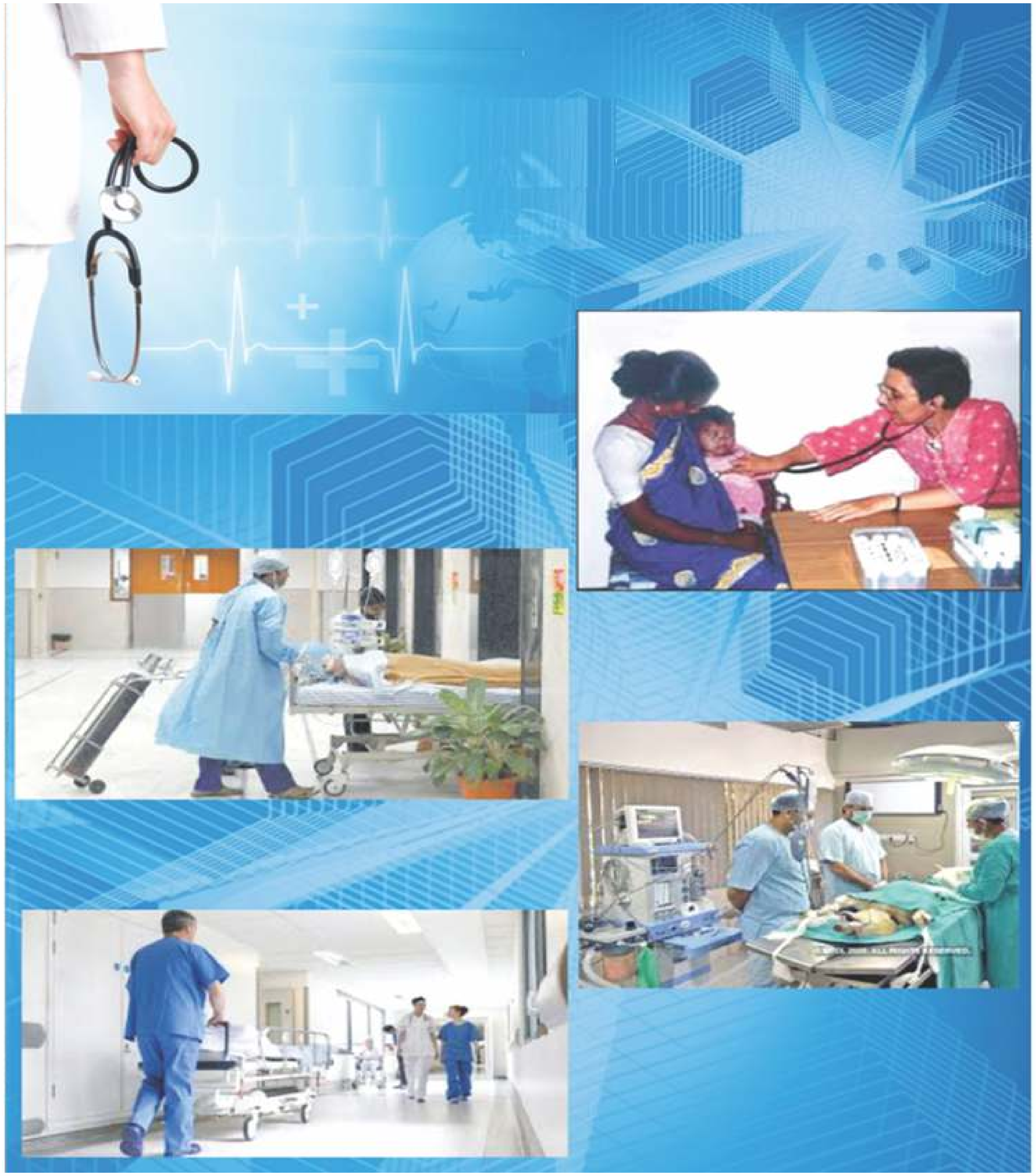

अस्पताल या औषधालय में सेवा

विभाग, जिन्हें सम्मिलित किया जा सकता है :-

- सभी सरकारी अस्तपाल/औषधालय।
- ईएसआई अस्पताल और औषधालय।
- निजी नर्सिंग होम/अस्पताल (चाहे वे एलौपैथिक आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या अन्य कोई पैथी से संबंधित हो)
- एमसीएफ द्वारा संचालित अस्पताल/औषधालय

विवाद या मुद्दे, विभाग जिन्हें इस सेवा श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है :-

- चिकित्सीय लापरवाही।
- अस्पतालों द्वारा अधिक मूल्य वसूली।
- अस्पताल/औषधालयों द्वारा चिकित्सा सेवाओं का अस्वीकार करना।
- ईएसआई अस्पताल/औषधालय द्वारा कर्मचारियों के दावों का अस्वीकार किया जाना।
- समाज के कमजोर वर्गों हेतु आरक्षित सेवाओं से इंकार।
- स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने में संबद्ध अकुशल कर्मचारी एवं अनुभवहीन चिकित्सक।
- प्रशिक्षु चिकित्सक के हाथों में जीवन समाप्त होने वाले मामलों को देना।
- गलत टीकाकरण/दवाईयों का रोगियों को उपलब्ध कराना।
- बिना अटेंड किये अत्यधिक नाजुक परिस्थितियों में रोगियों को छोड़ना।
- दोषपूर्ण शल्यक्रिया।
- दोषपूर्ण मशीनों के कारण अनुचित परिणाम प्राप्त होना।
- चिकित्सालय की दवा दुकान द्वारा दवाईयों को देने से इंकार करना।
- मृतक के परिजनों की पूर्व स्वीकृति के बिना उसके अंगों को हटाना।
- मरीज को देखने से इंकार करना चाहे वह आपराधिक मामले में संलिप्त हो या नहीं।

बीमा सेवाएं

बीमा सेवाएं

विभाग, जिन्हें सम्मिलित किया जा सकता है :-

- सभी निजी और साथ ही पी.एस.यू. बीमा कंपनियां (जीवन एवं सामान्य बीमा कंपनियां)।
- बीमा सलाहकार द्वारा दी जा रही बीमा सेवाएं।
- बीमा कंपनी एवं अस्पतालों के मध्य मेडीक्लेम बीमा हेतु कार्यरत बिचौलिये।
- बीमा विक्रय के एजेंट/दलाल/उपभोक्ता निर्देशक।

विवाद या मुद्दे, जिन्हें इस सेवा श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है :-

- बीमाकर्ता द्वारा दावों का आंशिक या कुल प्रत्यावर्तन।
- बीमा प्रीमियम का अनुचित चार्ज।
- नीतियों के कानूनी निर्माण के रूप में विवाद, जहां तक इस तरह के विवाद दावा करने से संबंधित है।
- दावों के निपटारे में विलंब ।
- प्रीमियम की प्राप्ति के पश्चात ग्राहक को बीमा दस्तावेज का जारी न किया जाना।
- बीमा सलाहकर्ता/एजेंट/दलालों द्वारा त्रुटिपूर्ण मार्गदर्शन/धोखाधड़ी करके गलत दावों को आगे बढ़ाना।

आवास एवं संपदा

आवास एवं संपदा

विभाग, जो इसमें शामिल किए जा सकते हैं –

- एम.पी. अरबन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (मध्यप्रदेश शहरी विकास कंपनी)
- एम.पी. स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बोर्ड (मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास बोर्ड)
- एम.पी. हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड)
- सभी निजी बिल्डर कोलोनाइजर
- समूह गृह निर्माण समितियां
- सम्पदा अभिकर्ता

विवाद या मुद्दे, जिन्हें इस सेवा की श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया सकता है–

- प्लॉट्स / फ्लैटस का अनुचित आबंटन।
- संबंधित प्राधिकरण एवं वारिस के मध्य सम्पत्ति हस्तांतरण संबंधी मुद्दे।
- निजी डेवलपर्स द्वारा अवैध चार्ज जैसे गैर–निर्माण शुल्क, विलंबित भुगतान पर ब्याज इत्यादि।
- डेवलपर्स द्वारा समय पर कब्जा न दिए जाने से ग्राहक को नुकसान।
- क्षेत्र विकसित करने में विफलता।
- मकान / फ्लैट / रोड / जल आपूर्ति प्रणाली, नाली, विद्युत खंभे इत्यादि के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग।
- विद्युत कटौती के दौरान पावर बैकअप हेतु अनुचित शुल्क।
- आरक्षित एवं भुगतान किए जा चुके घर के निर्माण में देरी।

संपदा अभिकर्ता

- क्रेता के विरूद्ध भेदभाव जो अभिकर्ता से कोई सेवा नहीं चाहता। उदाहरण के लिए बंधक या बीमा कवर की व्यवस्था करना।
- किसी संपत्ति का गलत या भ्रामक वर्णन करना।

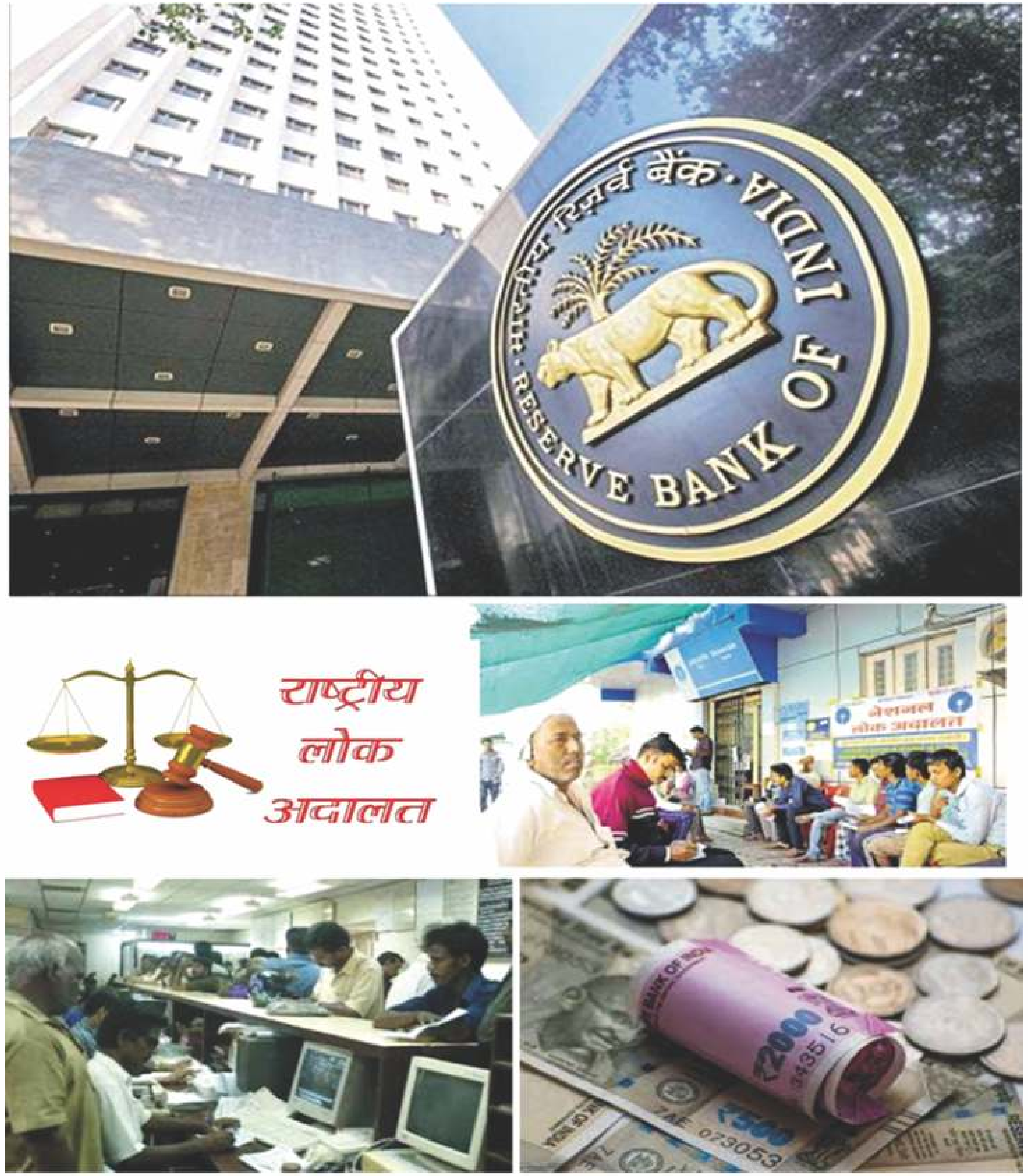

विभाग जिन्हें सम्मिलित किया जा सकता है–

- राष्ट्रीयकृत / अनूसूचित / बहुराष्ट्रीय बैंक
- गैर–बैंकिंग वित्तीय कपनियां
- चिटफंड और अन्य म्यूचुअल फंड कपनियां
- निजी फाइनेंसर्स
- सहकारी बैंक
- सहकारी समितियां जो अपने सदस्यों / ग्राहकों को बैंकिंग एवं ऋण सुविधाएं प्रदान करने से संबद्ध हैं।

विवाद या मुद्दे, जिन्हें इस सेवा की श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया सकता है–

- बैंकिंग सेवाओं में कमी ।
- सहमत दर से अधिक ब्याज दर पर ब्याज शुल्क लेना।
- लॉकर्स आदि के बीमा के लिए प्रावधानों का अभाव।
- दोषपूर्ण ए.टी.एम.सेवाएं।
- उधारकर्ता द्वारा वाहन के संबंध में लिये उधार की किस्तों के भुगतान के डिफाल्ट पर फाइनेंस कंपनी द्वारा वाहन का बाहुबल द्वारा उठाया जाना।
- ऋण की मंजूरी से पहले रिक्त चैक की प्राप्ति।
- दिनांकित चैक की प्राप्ति दिनांक पर उधारकर्ता के खाते में कोई शेष राशि हुये बिना दिनांकित चैक का प्राप्त किया जाना।
- अपने ग्राहकों को ब्याज दर में वृद्धि या कमी संबंधी सूचना से अवगत कराते रहने में बैंकों की विफलता।
- विभिन्न सेवाओं के संबंध में ग्राहक को बिना किसी पूर्व उचित सूचना के नियम एवं शर्तों के संबंध में परिवर्तन।

अन्य सेवाएं

- लोकोपयोगी सेवाओं के भीतर आने वाली संभावित विवादों की उपरोक्त सूची संपूर्ण नहीं है।
- कोई अन्य सेवा, जो उपरोक्त सेवा श्रेणी में सम्मिलित है, जो निजी या राज्य या केन्द्रीय शासन के विभागों द्वारा संचालित है, इस अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती है।

लोकोपयोगी सेवाओं के समक्ष आपराधिक मामले

- किसी लोकोपयोगी सेवाओं के मामले से संबंधित शमनीय अपराध जैसे–
- पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138
- नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत शमनीय अपराधी
- भारतीय विद्युत अधिनियम अंतर्गत शमनीय अपराध

नोटः– यदि सुलह का प्रयास ऐसे मामलों में विफल हो जाता है, स्थायी लोक अदालत (लोकोपयोगी सेवाएं) मामले के गुण–दोश के आधार पर ऐसे मामले को निर्णीत नहीं कर सकती है।

दोनों पक्षों के आधार प्राप्त होने के पश्चात-

- पक्षों के बीच सुलह कार्यवाही।
- स्थायी लोक अदालत (लोकोपयोगी सेवाएं) पक्षों को सौहाद्रपूर्ण समाधान तक पहुंचने में सहायता करती हैं।
- पक्षकार सद्भावपूर्ण रूप से सहयोग करते हैं।
- निपटारे के तत्वों को खोजने के पश्चात, स्थायी लोक अदालत पक्षकारों के पालन हेतु समझौते की शर्तें तैयार करता है व उनके हस्ताक्षर।
- ऐसे ही समझौते के आधार पर अवार्ड पारित किया जाना।
- यदि पक्षकार ऐसे समझौते पर पहुंचने में असफल होते हैं, स्थायी लोक अदालत गुण–दोष पर विवाद का निराकरण करे।
- स्थायी लोक अदालत प्रक्रियात्मक विधियों से बाध्य नहीं है :– जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या सिविल प्रक्रिया संहिता।
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, साम्या एवं अन्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित हो।

महत्वपूर्ण

- एक बार जब आवेदन स्थायी लोक अदालत (लोकोपयोगी सेवाओं) के समक्ष प्रस्तुत होता है, आवेदन का कोई पक्ष सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात नहीं कर सकता।
- बहुमत द्वारा अवार्ड पारित हो।

पी.एल.ए. (पी.यू.एस.) की शक्तिया

- किसी विवाद के निर्धारण की प्रक्रिया को स्वयं स्पष्ट कर सकता है।

उक्त संबंध में जैसे कि वह सिविल न्यायालय हो–

- किसी साक्षी को समन करना एवं उसे उपस्थित होने के लिए बुलाना एवं उसकी शपथ पर परीक्षा करना।
- किसी दस्तावेज की खोज करना एवं बुलाना।
- साक्ष्य की गुण–दोष पर प्राप्ति।
- किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या दस्तावेज या प्रति को आहूत करना।

क्या पी.एल.ए. (पी.यू.एस.) द्वारा पारित अवार्ड अंतिम है या अपील योग्य है ?

- अवार्ड अंतिम है।
- कोई अपील नहीं होती है।

विशेष – माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष केवल रिट दाखिल की जा सकती है।

पी.एल.ए.-पी.यू.एस. द्वारा गुण-दोष या समझौते द्वारा पारित प्रत्येक अवार्ड अंतिम एवं आबद्दकर होता है।

पी.एल.ए. (पी.यू.एस.) द्वारा पारित अवार्ड का निष्पादन

- पी.एल.ए. (पी.यू.एस.) द्वारा पारित कोई अवार्ड निष्पादन हेतु सिविल न्यायालय को दिया जा सकता है।
- सिविल न्यायालय को अवार्ड/आदेश का निष्पादन इस प्रकार करना है जैसे कि वह न्यायालय द्वारा बनाई गयी डिक्री थी।

पी.एल.ए.-पी.यू.एस. के समक्ष आवेदन कैसे संस्थित किया जाए ?

- आवेदन समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ एक साधारण पेपर पर दिया जा सकता है।
- आवेदक स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या वकील के माध्यम से कार्यालय समय के दौरान फाइल किया जा सकता है।
- कोई न्यायालय शुल्क नहीं।

पी.एल.ए.-पी.यू.एस. की संरचना

अध्यक्ष – जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी जो जिला न्यायाधीश से उच्च श्रेणी का न हो।

सदस्य (दो) – किसी लोक उपयोगी सेवाओं में पर्याप्त अनुभव प्राप्त

द्वितीय भाग

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

के अंतर्गत

लोक उपयोगी सेवाओं के लिए

स्थायी लोक अदालत की स्थापना,

क्षेत्राधिकार व प्रक्रिया से संबंधित जानकारियां

एवं

विभिन्न आदेश पत्रिकाओं के प्रारूप

लोक उपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत में सुनवाई

वर्तमान में प्रदेश के प्रत्येक जिले में लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत की पीठ निम्नानुसार होकर उसे उस जिले की संपूर्ण सिविल सीमाओं के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है:

अध्यक्ष – जिले में पदस्थ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश

सदस्य – जिले में पदस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी ,

सदस्य – जिले में पदस्थ कार्यपालन यत्री (सिविल), लोक निर्माण विभाग।

अधिनियम की धारा 22-ड की उपधारा 3 निम्न प्रावधान करती है:-

(3) इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय स्थायी लोक अदालत का गठन करने वाले व्यक्तियो के बहुमत द्वारा होगा। इस प्रकार, अधिनिर्णय/अंतिम आदेश करते समय पीठ के कम से कम दो व्यक्तियो की उपस्थिति व मत आवश्यक होगा।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अवकाश पर होने अथवा उनका पद रिक्त होने की स्थिति में उनके स्थान पर जिला मुख्यालय में कार्यरत प्रथम अपर जिला न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष होंगे।

स्थायी लोक अदालत की बैठक का स्थान

लोक अदालत के बैठक कक्ष का विवरण का बोर्ड भवन के बाहरी सहजदृश्य भाग पर लगाया जाना अपेक्षित किया गया है।

म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार स्थायी लोक अदालत की बैठक प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में होना निर्धारित किया गया है।

स्थायी लोक अदालत की प्रत्येक सप्ताह मे कम से कम एक बैठक आयोजित करना अनिवार्य कर प्रकरणों की संख्या के अनुसार सप्ताह में एक से अधिक बैठकें भी आयोजित करने की स्वतंत्रता दी गयी है।

स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार

ए - विषयवस्तु का क्षेत्राधिकार:-

अधिनियम की धारा 22 {क(ख)} में वर्णित आठ सेवाओं से उत्पन्न विवाद/मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

बी – आर्थिक क्षेत्राधिकार:–

अधिनियम में वर्ष 2002 में जोड़े गये अध्याय छह–ए की धारा 22–ग (1) का द्वितीय परंतुक सुसंगत होकर निम्नवत् है:–

22–ग–स्थायी लोक अदालत द्वारा मामले का संज्ञान– (1)................परन्तु............परन्तु यह और कि स्थायी लोक अदालत को ऐसे मामले में भी अधिकारित नही होगी जिसमें वादग्रस्त संपत्ति का मूल्य दस लाख रूपये से अधिक है: भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय(विधि और विधायी कार्य विभाग) की अधिसूचना क्र S.O. 2083(E) दिनांक 15 सितंबर 2011 द्वारा आर्थिक सीमा को बढाकर पच्चीस लाख रूपये किया गया। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय (विधि और विधायी कार्य विभाग) की अधिसूचना S.O. 803(E) दिनांक 20 मार्च 2015 द्वारा आर्थिक सीमा को बढाकर एक करोड रूपये तक किया गया। इस तरह वर्तमान में स्थायी लोक अदालत को एक करोड रूपये मूल्य की सीमा तक के विवादो को सुनने की आर्थिक क्षेत्राधिकारिता है।

सी– स्थानीय क्षेत्राधिकार:–

प्रदेश के जिला स्तरीय स्थायी लोक अदालत पीठ को उस संपूर्ण सिविल जिले की सीमा के अंतर्गत आने वाले मामलों/विवादों की सुनवाई का स्थानीय क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। इसका आशय यह है कि उस जिले की स्थानीय सीमाओ के अंतर्गत यदि विवाद की विषयवस्तु या वादकारण, जैसा सी0पी0सी0 1908 में वर्णित है,उत्पन्न होता है ,तो उस मामले/विवाद क सुनवाई का स्थानीय क्षेत्राधिकार उस स्थायी लोक अदालत पीठ को है।

डी– समवर्ती क्षेत्राधिकार:–

लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत संबंधी धारा 22–बी व संबद्ध प्रावधानों के अधीन इसका गठन निम्न प्रयोजन से किया गया है:–

1. छोटे/तुच्छ प्रकृति के विवाद का
2. त्वरित निराकरण हो
3. विवाद काउंसिलिएशन की प्रकिया (आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलिएशन अधि.में वर्णित) के अनुसार निराकरण का प्रयास हो,
4. विवाद का निराकरण काउंसिलिएशन के द्वारा नहीं होने की स्थिति में लोक अदालत पीठ गुण दोषों पर निराकरण कर सकती है।

इस लोक अदालत के गठन का प्रयोजन नियमित न्यायालय से ऐसे छोटे मामलों का बोझ कम करना व ऐसे मामलों का त्वरित निराकरण है इसी कारण से ऐसी लोक अदालत को प्रक्रिया के कठोर/जटिल प्रावधानों से छूट प्रदान की गयी है।

लोक उपयोगी सेवाओ की लोक अदालत के अंतर्गत आने वाले मामलो के संबंध में इसका क्षेत्राधिकार ऐसी सेवाओं/सहायताओं के लिए सामान्य या विशेष विधि द्वारा प्रस्तावित अन्य फोरम, अधिकरण या न्यायालय के साथ सहअस्तित्व में है और यह विकल्प संबंधित पक्षकार पर है कि वह इस लोक अदालत में आना चाहता है या अन्य किसी फोरम में।

स्थायी लोक अदालत को किन मामलो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है ?

(1) अशमनीय अपराधो से संबद्ध मामले:–

किसी भी विधि के अधीन अशमनीय के रूप में उल्लेखित किसी अपराध से संबंधित विवाद के विषय में स्थायी लोक अदालत को अधिकारिता नही है।

(2) मोटर दुर्घटना से उद्भूत मामलो में:–

लोक उपयोगी सेवाओ की लोक अदालत को मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आने वाले मामलो को सुनवाई का कोई अधिकार नही होकर ऐसी लोक अदालत के समक्ष ऐसे मामले पोषणीय नही है।

स्थायी लोक अदालत में आवेदन कौन प्रस्तुत कर सकता है ?

22–ग. स्थायी लोक अदालत द्वारा मामले का संज्ञान

(1) किसी विवाद का कोई पक्षकार, विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष लाने के पूर्व, विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत को आवेदन कर सकेगा।

इस प्रकार किसी विवाद का कोई पक्षकार विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है।

विधिनुसार कोई भी सक्षम व्यक्ति ,जो सिविल वाद प्रस्तुत करने में सक्षम हो, उल्लेखित लोक उपयोगी सेवाओं में किसी एक या अधिक के संबंध में संबंधित वर्णित सेवा प्रदाता संस्था के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत कर सकता है परंतु ऐसी प्रावधानित संस्था स्वयं ऐसी किसी सेवा के संबंध में किसी अन्य के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत नही कर सकती है।

स्थायी लोक अदालत के लिए आवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ?

म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत आयोजन के लिए लोक अदालत स्कीम 1997 के अंतर्गत जारी अनुदेशों के भाग दो का नियम कमांक 2 (एक) निम्न है:–

2 (एक) न्यायालय में मामला संस्थित करने के पूर्व अपने विवाद का सौहार्द्रपूर्ण समझौते द्वारा विनिश्चिय किए जाने की वांछा रखने वाला पक्षकार संबंधित समिति के सचिव के समक्ष अपना मामला फाइल करेगा

इस प्रकार, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत होने वाले आवेदन सचिव, जिला प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होंगे और वह उन्हें प्राप्त कर पीठ के समक्ष उसी दिन या आगामी बैठक तिथि पर रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।

आवेदन में क्या विवरण/ प्रारूप होना चाहिये ?

अधिनियम के अध्याय छह–क में स्थायी लोक अदालत के समक्ष आवेदन प्रस्तुति का कोई प्रारूप नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 22–घ अनुसार स्थायी लोक अदालत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानों से आबद्ध नहीं होगी।

स्थायी लोक अदालत के समक्ष विवाद का कोई भी पक्षकार विवाद के निराकरण के लिए आवेदन उसमें निम्न विशिष्टिया अंतर्विष्ट करते हुए दे सकता है:–

1. आवेदक के पूर्ण विवरण,
2. अनावेदक के पूर्ण विवरण (अनावेदक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के विवरण सहित)
3. लोक उपयोगी सेवा, जिसके संबंध में आवेदन दिया है उसके विवरण
4. ऐसी लोक उपयोगी सेवा प्रदाता द्वारा जो सहायता नही दी गयी/कार्य नही किया उसके विवरण
5. ऐसे सहायता करने/कार्य करने हेतु सेवा प्रदाता से किये गये अनुरोध के विवरण
6. ऐसी वांछित सहायता के संबंध में क्षेत्राधिकार विषयक विवरण
7. वांछित सहायता हेतु यदि किसी न्यायालय/अन्य फोरम में कार्यवाही की हो तो उसके विवरण
8. अनुतोष,

ऐसे आवेदन के साथ दिये गये विवरण के समर्थनकारी दस्तावेज, यदि कोई हो, की प्रस्तुति अपेक्षित है।

आवेदन कहॉं पंजीबद्ध होगा ?

लोक अदालत स्कीम 1997 का नियम 13 सुसंगत होकर निम्नवत् है:–

13. अधिनियम की धारा 20 के अधीन या अन्यथा निर्दिष्ट किए गए मामलो के अभिलेख बनाए रखने की प्रक्रिया–

(1) यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें लोक अदालत को बतौर निर्देश के उसके द्वारा प्राप्त समस्त मामले निम्नलिखित विवरण देते हुए प्रविष्ट किए जाएंगे:–

(एक) प्राप्ति की तारीख,

(दो) मामलो का प्रवर्ग तथा विषयवार प्रकृति,

(तीन) ऐसी अन्य विशिष्टियां,जो कि आवश्यक समझी जाए, और

(चार) समझौते की तारीख तथा फाईल वापसी की तारीख

(2) जब लोक अदालत द्वारा मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाए तब रजिस्टर में समुचित प्रविष्टि की जाएगी। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत आयोजित करने के लिए लोक अदालत स्कीम 1997 के अंतर्गत जारी अनुदेशो के भाग दो का नियम क्रमांक 2 (दो) निम्नवत् है:–

2 (दो) वाद के पेश करने के पश्चात ,उसे सुलह के लिए मामले के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जावेगा।

इस प्रकार स्थायी लोक अदालत में प्रस्तुत होने वाले मामलो की एक पंजी होगी।

क्या स्थायी लोक अदालत मे सुनवाई में पक्षकार की ओर से अभिभाषक उपस्थित हो सकते है या पैरवी कर सकते है ?

लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत संबंधी प्रावधानों को देखने से स्पष्ट है कि इनमें अभिभाषक की उपस्थिति पर कोई रोक नहीं लगायी है।

उक्त स्थितियों में लोक अदालत में पक्षकार व्यक्तिगत रूप से या अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग ले सकता है।

क्या स्थायी लोक अदालत में प्रस्तुत आवेदन पर कोई न्यायशुल्क देय होगा ?

अधिनियम के अध्याय छह–ए में प्रस्तुत होने वाले आवेदनों पर न्यायशुल्क लगने संबंधी कोई प्रावधान का उल्लेख नही है।

लोक अदालत स्कीम 1997 के अंतर्गत स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत के आयोजन के लिए दिनांक 30.08.1999 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी अनुदेशो का 02 का खण्ड 02 मुकदमा पूर्व मामला प्रस्तुति (Pre Litigation) का प्रावधान करता है। इस खण्ड का उपखण्ड 'एक' निम्नानुसार है:–

2 (एक) न्यायालय में मामला संस्थित करने के पूर्व अपने विवाद का सौहार्द्रपूर्ण समझौते द्वारा विनिश्चिय किए जाने की वांछा रखने वाला पक्षकार संबंधित समिति के सचिव के समक्ष अपना मामला फाइल करेगा ऐसे वाद या याचिका पर कोई न्यायालय फीस नही चुकाई जायेगी ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 21 (1) धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत और मामले जिनमें समझौता हो गया है, के लिए संदत्त न्यायशुल्क की विहित रीति से वापसी का प्रावधान करती है।

न्याय शुल्क अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत राज्य द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.NO. 9186BXXI, dated 10जी April 1987 लोक अदालत के माध्यम से निराकृत मामलो में संपूर्ण अदा न्यायशुल्क की वापसी का प्रावधान करने के साथ ही लोक अदालत के समक्ष हुए समझौते के अनुरूप प्रस्तुत वाद को भी न्यायशुल्क अदायगी से मुक्ति प्रदान करता है।

इस प्रकार लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत आवेदनों पर कोई न्यायशुल्क देय नहीं होगा।

क्या स्थायी लोक अदालत द्वारा जारी सूचनापत्रों हेतु आदेशिका शुल्क देय होगा ?

लोक अदालत स्कीम 1997 का नियम 4 लोक अदालत का संयोजन व आयोजन करने वाली समिति या प्राधिकरण से यह अपेक्षा करती है कि वह ऐसे प्रत्येक पक्ष, जिसका मामला लोक अदालत के लिये निर्दिष्ट किया है, को सूचना प्रदान करें।

स्थाई व निरंतर लोक अदालत आयोजन करने के लिये लोक अदालत स्कीम 1997 के अधीन जारी अनुदेशों के भाग–2 ,जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिये प्रावधान किया गया है, का अनुदेश 2 (तीन)निम्नवत् है:–

" (तीन) .. सूचनाओं की तामिल को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें, यथास्थिति, जिला प्राधिकरण/तालुका समिति के व्यय पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जारी किया जाएगा"

लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत को वर्ष 2002 के संशोधन द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अध्याय 6(क) में जोड़ा गया है जो भाग–6 लोक अदालत के तुरंत पश्चात् और इसके शीर्षक मुकदमा पूर्व सुलह और समझौता दिया गया है।

प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आदेशिका वाहकों के पद होकर इनके माध्यम से स्थानीय निवासीयों के सूचना पत्रों की तामील करवायी जा सकती है।

तब विधिक प्रावधानों व स्थिति और अनुक्रम के प्रकाश में लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत में पक्षकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विरोधी पक्ष को संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ही सूचना पत्र साधारण या पंजीकृत डाक, जैसा उपयुक्त हो, जारी किया जाता है और इस हेतु व्यय संबंधित प्राधिकरण द्वारा ही वहन किया जाता है।

स्थायी लोक अदालत के आदेशानुसार सूचना पत्र कौन जारी करेगा ?

इस संबंध में लोक अदालत स्कीम 1997 के बिंदु कमांक 04 सुसंगत होकर निम्नवत् है:–

संबंधित पक्षकारों को सूचना –

यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष जो लोक अदालत का संयोजन तथा आयोजन करेगा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसका मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया हो ठीक समय में जानकारी देगा जिससे लोक अदालत के लिए स्वयं की तैयारी करने का उसे अवसर प्राप्त हो सके।

स्थायी लोक अदालत की पीठ के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव या उक्त हेतु निर्दिष्ट अन्य अधिकारी संबंधित पक्ष को सूचना पत्र/आदेशिका स्वयं के हस्ताक्षरों से जारी कर सकता है।

अनावेदक सूचना पत्र के विधिपूर्ण निर्वाह पश्चात भी अनुपस्थित हो तो क्या होगा ?

धारा 22–ग, 22–घ, 22–ड के प्रावधान यह अपेक्षा करते हैं कि अनावेदक पक्ष को आवेदन की सूचना दी जावेगी। ऐसी सूचना दी जाने के पश्चात की विहित प्रक्रिया दोनो पक्षो के अभिवचनों को पूर्ण करवाना, उसके पश्चात सुलह चर्चा करवाना ऐसी चर्चा के सफल होने पर बिंदु तय कर तद्नुसार अंतिम आदेश करना व चर्चा असफल होने पर विवाद के विनिश्चय की कार्यवाही कर अंतिम आदेश करना।

अधिनियम की धारा 22–घ स्थायी लोक अदालत की प्रकिया को निम्नानुसार निर्धारित करती है:

22 घ. स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया–

स्थायी लोक अदालत, इस अधिनियम के अधीन सुलह कार्यवाहियां करते समय या विवाद का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय करते समय नैसर्गिक न्याय, वस्तु–निष्ठता, निष्पक्षता, साम्या और न्याय के अन्य सिद्धांतो से मार्गदर्शित होगी और सिविल प्रकिया संहिता 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से आबद्ध नही होगी।

नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत audi alterm partem (Listen to the other side) किसी भी कार्यवाही में विरोधी पक्ष को फोरम के समक्ष सुनवाई के अवसर दिये जाने की अपेक्षा करता है।

नैसर्गिक न्याय के इस सिद्धांत के प्रकाश में जहॉ अनावेदक पक्ष को उपस्थिति, सुनवाई हेतु सूचना पत्र आवेदन की प्रति सहित जारी किया जाकर उसका विधिपूर्ण निर्वाह हो गया हो और वह स्वयं ऐसे निर्वाह के पश्चात भी सुनवाई हेतु उपस्थित होने व सुनवाई प्रकिया में भाग नहीं लेने का चयन करता है तब पीठ ऐसे मामले में अनावेदक की अनुपस्थिति में प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही निरंतर कर सकेगी।

क्या एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जा सकता है ?

अधिनियम की धारा 22 घ के प्रावधान के प्रकाश में नैसर्गिक न्याय, साम्या के सिद्धांत अनुसार किसी भी पक्ष को किसी भी न्यायिक कार्यवाही के लंबन के दौरान उसमें भाग लेने, अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिये इस स्थिति में यदि कार्यवाही के किसी प्रकम पर अनावेदक अनुपस्थिति होकर पश्चातवर्ती प्रकम पर उपस्थित होता है तो वह आगे की कार्यवाही में तो भाग ले ही सकता है पर यदि वह पुर्व के प्रकम पर पुनः जाना चाहे तो वहॉ उसकी ओर से की गयी ऐसी अपेक्षा/कारण को उसकी अनुपस्थिति के कारण,आधार की सद्भाविकता, उपयुक्तता को विचार मे लेकर, ऐसी अनुपस्थिति के कारण आवेदक पक्ष को हुए विलंब/पीडा तथा लगे समय के प्रकाश में उपयुक्त शर्तो,जिनमें हर्जा भी हो सकता है,पर पूर्व कार्यवाही स्तर से अनावेदक को भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

जहॉ आवेदक के आवेदन पर अनावेदक के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही/सुनवाई कर अंतिम आदेश किया गया है,जो सिविल कोर्ट की डिकी का प्रभाव रखता है,वहॉ उसके पश्चात एकपक्षीय कार्यवाही हटाने,अर्थात आदेश 09 नियम 13 सी.पी. सी. अनुसार कार्यवाही,की कोई अधिकारिता प्रावधानो में पीठ को नही दी गयी है। एक बार अंतिम आदेश करने के पश्चात वह मामला पीठ के समक्ष लंबित नही होकर पीठ के क्षेत्राधिकार के बाहर हो जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधि. के मामले Rajeev Hitendra Pathak & Ors **VS** Achyut Kashinath Karekar & Anr आदेश दिनांक 19/08/2011 के निम्न स्थिति अभिनिर्धारित की है:—

36. On careful analysis of the provisions of the Act, it is abundantly clear that the Tribunals are creatures of the Statute and derive their power from the express provisions of the Statute. The District Forums and the State Commissions have not been given any power to set aside ex parte orders and power of review and the powers which have not been expressly given by the Statute cannot be exercised.

लोक उपयोगी लोक अदालत के प्रावधानो में उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण जैसी स्थिति होने के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि लोक अदालत को उसके अधिनिर्णय/अंतिम आदेश के पुनर्विलोकन, एकपक्षीय अधिनिर्णय/अंतिम आदेश को अपास्त करने का कोई अधिकार नही है व ऐसे अधिनिर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका ही प्रस्तुत की जा सकती है।

अनावेदक की उपस्थिति पश्चात प्रक्रिया

अधिनियम के अध्याय 6—क के प्रावधानों के प्रकाश में अनावेदक की उपस्थिति के पश्चात पीठ द्वारा सुनवाई/कार्यवाही की प्रक्रिया निम्नानुसार क्रम में निर्धारित की जा सकती है:—

1. अनावेदक के नियत तिथि पर उपस्थिति के पश्चात अनावेदक को आवेदन के जवाब/लिखित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना
2. ऐसे लिखित कथन, सहपत्रों की प्रस्तुति पर आवेदक को उसकी प्रति दिलवाना
3. ऐसे अभिवचनों/पक्षों के प्रकाश में उभयपक्षों से अपेक्षा करना की वे चाहे तो अतिरिक्त कथन, प्रपत्रों की प्रस्तुति कर सकते है,
4. पीठ उपयुक्त मामलो में किसी भी पक्ष को विवरण, प्रपत्र प्रस्तुति के निर्देश दे सकती है,
5. उभयपक्षों के मध्य सुलह चर्चा की कार्यवाही स्वतंत्र, निष्पक्ष रीति से करवाना ,
6. सुलह चर्चा की कार्यवाही के दौरान समझौते के तत्वों की विधमानता पर संभाव्य समझौते के बिंदु तैयार कर उभयपक्षो को बताना,
7. ऐसे तय बिंदुओ के आधार पर पक्षों के समझौते हेतु सहमत होने पर ऐसे बिंदुओ अनुसार समझौता करार तैयार किया जाना,
8. समझौता करार पर उभयपक्षों के हस्ताक्षर लिया जाना ,
9. समझौता करार अनुसार अधिनिर्णय/अंतिम आदेश करना,
10. समझौता के तत्वों की विधमानता नही होने पर अंतिम विनिश्चय की ओर अग्रसर होना,
11. उभयपक्षों को सुनवाई, तर्क प्रस्तुति हेतु अवसर देना/तर्क सुनना
12. अधिनिर्णय/अंतिम आदेश करना,
13. अधिनिर्णय/अंतिम आदेश की एक—एक निःशुल्क सत्य प्रति उभयपक्षों को प्रदान करना व जहॉ अनावेदक एकपक्षीय/अनुपस्थित रहे हों वहॉ उन्हें भिजवाना।

जहॉ अनावेदक अधिनिर्णय का पालन नहीं करते वहॉ प्रवर्तन कौन व कैसे करेगा ?

अधिनियम की धारा 22 (ड—5) के प्रावधान सुसंगत होकर निम्नवत् है:—

(5) स्थायी लोक अदालत, उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक अधिनिर्णय को स्थानीय अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को भेज सकेगी और ऐसा सिविल न्यायालय अधिनिर्णय को इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो यह उस न्यायालय द्वारा की गयी डिक्री हो।

अधिनियम के इस प्रावधान से स्पष्ट है कि जहॉं अधिनिर्णय के पालनकारी निर्देश का पालन अनावेदक पक्ष ने नहीं किया है वहॉं आवेदक ऐसे अधिनिर्णय के पालन के लिए आवेदन लोक उपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगा और तब ऐसी लोक अदालत ऐसी अधिनिर्णय को स्थानीय सिविल न्यायालय, यदि क्षेत्राधिकारीता स्पष्ट हो तो,अन्यथा जिला न्यायालय को निष्पादन हेतु भेज सकेगी।

ऐसी प्रवर्तन आवेदन, अंतरण के संबंध में कोई प्रारूप अधिनियम में नहीं दिये गये है । अधिनियम के अध्याय 22–क के अंतर्गत लोक अदालत अपनी स्वयं की प्रकिया भी विहित कर सकती है।

सिविल प्रकिया संहिता 1908 (सी.पी.सी.) का आदेश 21 नियम 11 से 15 डिक्री के प्रवर्तन हेत प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन में क्या विवरण होना चाहिये यह प्रावधान करकी अनुसूची 01 के परिशिष्ट (ड) का सरल क्रमांक 06 ऐसे प्रवर्तन आवेदन का प्रारूप है।

सी.पी.सी. की धारा 39 तथा आदेश 21 नियम 05 से 08 डिक्री के अंतरण की प्रकिया प्रावधानित कर सी.पी.सी. की अनुसूची 01 के परिशिष्ट (ड) के सरल क्रमांक 03 से 05 में अंतरण के समय अंतिरिति द्वारा दिये जाने विवरण के प्रारूप उपलब्ध करवाती है।यह प्रकिया सिविल डिक्री के लिए स्थापित होकर सुविधापूर्ण रूप से अधिकरण भी इसका उपयोग कर सकता है।

यह कहा जा सकता है कि अधिनिर्णय के अपालन पर आवेदक पक्ष उसके निष्पादन हेतु सी.पी.सी. में वर्णित प्रारूप में आवेदन अधिनिर्णय की प्रति सहित प्रस्तुत करेगा जिसे स्थायी लोक अदालत पीठ सक्षम सिविल न्यायालय को सी.पी.सी. में वर्णित प्रकिया अनुसार प्रवर्तन हेतु अंतरित कर देगी।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2015/फाल्गुन 29, 1936
No. 610] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2015/PHALGUNA 29, 1936

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015

का.आ. 803(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 22ग की उप-धारा (1) के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 15 सितम्बर, 2011 में, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2083(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श से, स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विवाद की संपत्ति के मूल्य की सीमा को ''एक करोड़ रुपए तक'' बढ़ाती है।

[फा. सं. ए-60011/37/2004-प्रशा.-III (एल.ए.पी.)-न्या.]

प्रवीण गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2015

S.O. 803(E).—In exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (1) of section 22C of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) and in supersession of the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) notification number S.O. 2083 (E), dated the 15th September, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th September, 2011, the Central Government, in consultation with the Central Authority, hereby increases the limit of the value of the property in duspute for the purpose of determining the jurisdiction of Permament Lok Adalat to "one crore rupees" with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. A-60011/37/2004-Admn.-III (LAP)-JUS]

PRAVEEN GARG, Jt. Secy

1315 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(574, साउथ सिविल लाईन्स, पचपेढ़ी जबलपुर, 482001)

Off. Ph. 0761-2678352, E-mail:-mplsajab@nic.in, Fax:-0761-2678537

क्र.फा.न.71बी/स्थायी.लोक अदा./राविसेप्रा/2939/ जबलपुर, दिनांक 13/12/2019

प्रति,

जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला न्यायालय परिसर
जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः– **लोकोपयोगी सेवाओं के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के संशोधित नोटिफिकेशन के संबंध में।**

विषयान्तर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22–बी के अंतर्गत लोकोपयोगी सेवाओ के लिए स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के सशोधित नोटिफिकेशन की प्रतियां संलग्न आपकी ओर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि म.प्र. राजपत्र दिनाक 29.11.2019 के भाग 1 के अनुसार "प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के स्थान पर " सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश" को लोकोपयोगी सेवाओ के लिये स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हैं।

उक्त स्थायी लोक अदालतें माह के अंतिम शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आयोजित होगी और लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। खंडपीठ के शेष अन्य सदस्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा कार्यपालन यंत्री (सिविल पी.डब्ल्यू.डी.) यथावत होगें।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त नोटिफिकेशन लागू किये जाने के संबध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अन्य सर्वसंबधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

सदस्य सचिव महोदय, के आदेशानुसार।

DM 13.12.2019
(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव

क्र.फा.नं. 71बी/स्थायी.लोक.अदा/राविसेप्रा/2939 / जबलपुर, दिनांक 13/12/2019

प्रतिलिपिः–

1– प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत की ओर सूचनार्थ।

2– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

DM 13.12.2019
(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव

13 DEC 2019
5·21 PM

कागज बचाएं , पेड़ बचाएं , प्लास्टिक हटाएं , पर्यावरण बचाएं !

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(574, साउथ सिविल लाईन्स, पचपेढ़ी जबलपुर, 482001)

MADHYA PRADESH LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR

Jabalpur, the 31st October 2019

AMENDED NOTIFICATION

No. F. No.71-B /Lok Ada (PUS)/ SLSA/2019- In exercise of the powers conferred under Section 22-B of the Legal Services Authorities Act, 1987 (as amended by Central Act No. 37 of 2002 and hereinafter referred to as the Act) the Madhya Pradesh State Legal Services Authority makes the following amendment in the previous Notification No. Endt. F.No. 71/LA/SLSA/1125/2008 dated 20.12.2008 regarding appointment of the Chairman of Permanent Lok Adalats:-

In place of "*First Additional District Judge*" in Column 3 of the Table under the caption 'Designation of the Officer' the following be inserted:

"*Secretary District Legal Services Authority cum Addl. District Judge of Concerned District*"

Accordingly, the amended table shall be

TABLE

S. No.	Place of the permanent Lok Adalat	Designation of the Officer	Nominated Designation	Area in which permanent Lok Adalat shall exercise jurisdiction
1	2	3	4	5
1	Each District of the State of M.P.	1. Secretary District Legal Services Authority Cum Addl. District Judge of Concerned District	Chairman	Whole of the Civil District
		2. Chief Medical & Health Officer,	Member	
		3. Executive Engineer (Civil) PWD.	Member	

By order of Chief Justice & Patron in chief,
GIRIBALA SINGH, Member.-Secy.

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(574, साउथ सिविल लाईन्स, पचपेढ़ी जबलपुर, 482001)
Off. Ph. 0761-2678352, E-mail:-mplsajab@nic.in, Fax:-0761-2678537

क्र.फा.नं.71बी/स्थायी.लोक अदा./राविसेप्रा/2967 / जबलपुर, दिनांक 17/12/2019

संशोधित

प्रति,

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः– लोकोपयोगी सेवाओ के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत आयोजित किये जाने के संबध में।

संदर्भः– इस प्राधिकरण का पत्र क. फा. नं. 71बी/स्थायी. लोक. अदा. /2939 दिनांक 13.12.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को स्थायी लोक अदालत आयोजित किये जाने के संबंध में पूर्व जारी संदर्भित निर्देश वापस लिया जाता हैं।

यथानिर्देशित उक्त संबंध में लेख है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22–बी के अंतर्गत लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतें प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित होगी अथवा प्रकरणों की संख्या के अनुसार सप्ताह में एक से अधिक बैठकें भी आयोजित की जा सकेगी।

इस संबंध में मासिक/वार्षिक कलेण्डर अपनी सुविधानुसार तैयार करे और प्रत्येक माह निराकृत प्रकरणों की जानकारी माह के अंत में निर्धारित प्रारूप में इस प्राधिकरण को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, के आदेशानुसार।

(गिरिबाला सिंह)
सदस्य सचिव

क्र.फा.नं. 71बी/स्थायी.लोक.अदा/राविसेप्रा/2967 / जबलपुर, दिनांक 17/12/2019

प्रतिलिपिः–

1– जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गिरिबाला सिंह)
सदस्य सचिव

17 DEC 2019
5:33PM

कागज बचाएं , पेड़ बचाएं प्लास्टिक हटाएं , पर्यावरण बचाएं !

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(574, साउथ सिविल लाईन्स, पचपेढ़ी जबलपुर, 482001)
Off. Ph. 0761-2678352, E-mail:-mplsajab@nic.in, Fax:-0761-2678537

क्र.फा.नं. 71बी/स्थायी.लोक अदा./राविसेप्रा/3670/जबलपुर, दिनांक 11/02/2020

प्रति,

जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः– धारा 22–बी के अंतर्गत लोकोपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष की पदस्थापना के संबंध में।

संदर्भः– नोटिफिकेशन दिनांक 31.10.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित नोटिफिकेशन दिनांक 31.10.2019 के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत सचिव सह–अपर जिला न्यायाधीश को लोकोपयोगी सेवा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हैं।

यथानिर्देशित उक्त संबंध में लेख है कि यदि स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) सचिव सह–अपर जिला न्यायाधीश अवकाश पर हैं अथवा पद रिक्त हैं ऐसी स्थिति में जब तक वे अपने पद पर कार्यभार ग्रहण नही करते हैं, तब तक उनके स्थान पर जिला मुख्यालय में कार्यरत प्रथम अपर जिला न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष होंगें।

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, के आदेशानुसार।

(गिरिबाला सिंह)
सदस्य सचिव

क्र.फा.नं. 71बी/स्थायी.लोक.अदा/राविसेप्रा/3670/ जबलपुर, दिनांक 11/02/2020

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गिरिबाला सिंह)
सदस्य सचिव

प्रारूप

प्रारूप–1

स्थायी लोक अदालत में प्रस्तुत होने वाले आवेदन का प्रारूप

समक्ष–लोकोपयोगी सेवाओ की लोक अदालत,..,म.प्र.लो.अदा.प्र.क्र. / 2020

नाम...................................... पिता / पति / माता का नाम..............................आयु...........वर्ष, व्यवसाय..............................

निवासीः.. .... आवेदविरूद्व 1. लोकोपयोगी सेवा प्रदाता संस्था का नाम,

विवरण द्वारा ....2. .... अनावेदकगण..............................

आवेदनपत्र अंतर्गत अध्याय छह–ए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 आवेदक की ओर से आवेदन निम्नानुसार सादर प्रस्तुत हैः–

(1) यह कि आवेदक शीर्षक में वर्णित पते का निवासी है।

(2) यह कि अनावेदक कमांक 01 लोकोपयोगी सेवा.................... के प्रदाता होकर अनावेदक कमांक 02 व 03 उनके........................ है।

(3) यह कि अनावेदक क.01 द्वारा प्रदत्त की जा रही .... सेवा के संबंध में यह विवाद है कि (सेवा संबंधी व उससे उत्पन्न विवाद संबंधी विवरण लिखे)...

(4). यह कि अनावेदक .... लोक सेवा प्रदाता होकर संबंधित विधिक प्रावधानो,नियमो,निर्देशो के अनुसार आवेदक को / क्षेत्र के लोगो को ....सेवा प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होकर इस संबंध में आवेदन / अनुरोध पश्चात भी अनावेदको द्वारा सेवा........... (सहायता)प्रदान नही की जा रही है।

(5). आवेदक .... जिले का निवासी होकर इस लोक अदालत के स्थानीय क्षेत्र में निवासी है। आवेदक द्वारा वांछित सहायता का मुल्य.................... रूपये होकर एक करोड रूपये से कम है।

(6). यह कि आवेदन के उक्त विवरण के संबंध में प्रपत्र सूची अनुसार संलग्न है।

(7). अतः अनुरोध है कि आवेदक को निम्न सहायता प्रदान की जावे और अन्य कोई पारिणामिक अनुतोष पाने का आवेदक पात्र हो तो वह भी प्रदान करने किया जावेः–..

दिनांकः / / 20 हस्ताक्षर आवेदक

प्रारूप–2

लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के मामलों/आवेदनों की पंजी

प्रस्तुति दिनांक (DD/ MM/ YYYY)	पंजीयन कमांक	आवेदक / गण (पूर्ण विवरण अंकित करे)	अनावेदक / गण (पूर्ण विवरण अंकित करे)	लोकोपयोगी सेवा जिसके संबंध में आवेदन है।	वांछित सहायता विवरण	नियत तिथियां (DD/ MM/ YYYY)	अंतिम आदेश तिथी व विवरण	प्रवर्तन प्रस्तुति, अंतरण विवरण	प्रवर्तन परिणाम

प्रारूप–3

अनावेदक को सूचना पत्र का प्रारूप

लोकोपयोगी सेवाओ की स्थायी लोक अदालत,..........,म.प्र.

क्रमांक /PLA/20….   दिनांक / /

//सूचना पत्र अंतर्गत अध्याय छह–क विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987//

प्रति,

....

....

....000...

आवेदक................ ने आपके विरूद्ध .... सेवा के संबंध में ....(सेवा में कमी /आधार का विवरण) विवाद के निराकरण हेतु इस लोक अदालत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। ऐसे आवेदन की प्रति संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक .... को इस अधिकरण के समक्ष उसके निम्न वर्णित बैठक स्थान पर प्रातः 11.00 बजे उपस्थित हो और आवेदन में वर्णित विवाद के संबंध में अपना पक्ष लिखित कथन आधारित प्रपत्रो सहित प्रस्तुत करे।

नियत तिथी व समय पर आपकी अनुपस्थिति में अग्रिम कार्यवाही निरंतर की जावेगी।

संलग्नः आवेदन, सहपत्रों की प्रति

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(बैठक स्थान के विवरण)
(जिले का नाम)

प्रारूप–4

संख्यांक – 6
(आदेश 21 नियम 11 सी.पी.सी.)
प्रवर्तन आवेदन का प्रारूप

.... के न्यायालय में
मैं ....,डिकीदार, इसके द्वारा नीचे दी गई डिकी के निष्पादन के लिए आवेदन करता हूँ:–

1	वाद का संख्यांक	1897 का 789
2	पक्षकारों के नाम	क ख – वादी, ग घ – प्रतिवादी
3	डिकी की तारीख	11 अक्टूबर, 1897
4	क्या डिकी की कोई अपील की गई है	नहीं
5	यदि कोई संदाय या समायोजन किया गया है तो वह संदाय या समायोजन	कोई नहीं
6	यदि पहले कोई आवेदन किया गया है तो उसकी तारीख और परिणाम	तारीख 4 मार्च, 1899 को आवेदन किया गया और उस पर अभिलिखित राशि .... रू. वसूल हुए
7	डिकी की रकम, उस पर उस शोध्य ब्याज के सहित या एतद्द्वारा अनुदत्त अन्य अनुतोष प्रति डिकी की विशिष्टियों के सहित	राशि.......... रू. मूल धन (डिकी की तारीख से संदाय तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज)
8	यदि खर्चों मद्धे कोई रकम अधिनिर्णीत की गई है तो वह रकम	डिकी में अधिनिर्णित किए गए रू. तत्पश्चात् उपगत .... जोड ......
9	किसके विरूद्ध निष्पादन किया जाए,	प्रतिवादी ग घ के विरूद्ध
10	वह ढंग जिससे न्यायालय की सहायता अपेक्षित है।	(जब आशय यह हो कि जंगम संपत्ति की कुर्की और उसका विक्रय किया जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मूलधन पर (संदाय की तारीख तक ब्याज के सहित) कुल रूपये..... ....की रकम और यह निष्पादन कराने के खर्चे प्रतिवादी की उस विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति की, जो इस आवेदन–पत्र के पाद भाग में विनिर्दिष्ट है, कुर्की और विकय द्वारा वसूल किये जाएं और मुझे दिए जाए।

मै...........................घोषणा करता हूँ कि इसमें जो भी लिखा गया है, वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

ता. ....

हस्ताक्षर....................
डिकीदार

संख्याक 3 प्रारूप–5

सिविल न्यायालय को निष्पादन हेतु डिक्री भेजने का आदेश

(आदेश 21 का नियम 06 सी.पी.सी.1908)

पीठ–स्थायी लोक अदालत,..............,म.प्र

.... आवेदक / डिक्रीदार

विरूद्ध

............अनावेदक / मदयुन

अंतरित प्रवर्तन प्रकरण कमांकः / –

प्रवर्तन बाबत् ....

–––––000–––––

उक्त मामले में आवेदक / डिक्रीदार ने यह प्रकट किया है कि न्यायालय,................... जिला ....,म.प्र. के न्यायालय की अधिकारीता की स्थानीय सीमाओं के अंदर मदयुन का कार्यालय / सम्पत्ति है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22ड की उपधार 05 के अंतर्गत इस स्थायी लोक अदालत पीठ उनके अधिनिर्णय के निष्पादन का आवेदन आपके न्यायालय को भेजा जाना उचित पाया गया है और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 6 के अधीन प्रमाण पत्र उक्त न्यायालय को भेजना आवश्यक और उचित समझा गया है ।

अतः यह आदेश किया जाता है कि अधिनिर्णय / डिक्री , जो उसके निष्पादन के लिये दिया गया हो, प्रति के सहित और तुष्टि न होने के प्रमाण पत्र के सहित न्यायालय .... को भेजी जावे ।

(अध्यक्ष)
स्थायी लोक अदालत,
पीठ.............,म.प्र

संख्याक 4 प्रारूप–6

डिक्री की तुष्टि न होने का प्रमाण पत्र

(आदेश 21 का नियम 06 सी.पी.सी.1908)

पीठ–स्थायी लोक अदालत,..............,म.प्र

.... आवेदक / डिक्रीदार

विरूद्ध

............अनावेदक / मदयुन

अंतरित प्रवर्तन प्रकरण कमांकः / –

प्रवर्तन बाबत् ....

–––––000–––––

यह प्रमाणित किया जाता है कि लोक अदा. प्रकरण कमांक............... अधिनिर्णय दिनांक .... से उद्भूत प्रर्वतन प्रकरण, जो प्राधिकरण में दिनांक .... को प्रस्तुत हुआ था,की तुष्टि इस प्राधिकरण की अधिकारिता के अंदर निष्पादन द्वारा नहीं हुई है ।

आज दिनांक .... को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(अध्यक्ष)
स्थायी लोक अदालत,
पीठ................,म.प्र

संख्याक 5 प्रारूप–7

सिविल न्यायालय को अंतरित डिक्री के निष्पादन का प्रमाण पत्र स्थायी लोक अदालत ...., म.प्र.

(आदेश 21 का नियम 06 सी.पी.सी.1908)

पीठ–स्थायी लोक अदालत,..............,म.प्र

.... आवेदक/डिक्रीदार

विरूद्ध

...............अनावेदक/मदयुन

अंतरित प्रवर्तन प्रकरण क्रमांकः / –

प्रवर्तन बाबत् ....

प्रकरण क्रमांक व स्थायी लोक अदालत पीठ,जिसने अधिनिर्णय किया है, के विवरण		स्थायी लोक अदालत पीठ,............,म.प्र लोक अदा.प्र.क. / , अधिनिर्णय दिनांक ....
पक्षकारों के नाम		
निष्पादन के लिये आवेदन की तारीख		
कौन कौन आदेशिकाए निकाली गई और तामीली किस किस तारीख को हुई		आवेदन प्रस्तुति के पश्चात उसे अंतरित किया गया है अन्य कोई कार्यवाही नहीं है।
निष्पादन खर्च		
वसूल की गई रकम		
मामले का निपटारा कब हुआ		दिनांक .... को अंतरण के आदेश किये गये।
टिप्पणियाः–मूल प्रर्वतन आवेदन, अधिनिर्णय की सत्यापित प्रति,.............. संलग्न है।		

(अध्यक्ष)
स्थायी लोक अदालत,
पीठ.................,म.प्र

प्रथम आदेश पत्रिका आवेदन प्रस्तुति व प्रकरण पंजीकृत हेतु

दिनांकः / /2020

आवेदक .... (पूर्ण विवरण) ने स्वयं/ की ओर से श्री .... अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन .... अनावेदक का नाम व विवरण)के विरूद्ध .... (सेवा विवरण) के संबंध में प्रस्तुत किया ।

ऐसे आवेदन की विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अध्याय छह–ए के अंतर्गत पोषणीयता के संबंध में विचार किया गया।

आवेदक के द्वारा वांछित अनुतोष .... सेवा के प्रदाता के विरूद्ध होकर बडवानी जिले की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के और अनुतोष .... रूपये से कम मुल्य का है। आवेदन में आवेदक, अनावेदकों के विवरण स्पष्टतः वर्णित होकर आवेदन प्रथम रूप में पोषणीय, सुनवाई योग्य होना पाया जाता है।

आवेदन स्थाई लोक अदालत के प्रकरण पजी में पंजीबद्ध किया जावे। अनावेदक को आगामी तिथी पर उपस्थित होकर आवेदक के संबंध में पक्ष प्रस्तुत करने का सूचना पत्र जारी हो। सूचना पत्र पर नोट लगाया जावे कि विधिपूर्ण निर्वाह पश्चात अनुपस्थिति की दशा में एकपक्षीय रूप से आगामी कार्यवाही निरंतर की जा सकती है।

अनावेदक का कार्यालय/निवास बडवानी जिला मुख्यालय की सीमा मे होने के प्रकाश में उन्हें साधारण रूप से आदेशिका वाहक के माध्यम से आदेशिका, आवेदन व सहपत्रों की प्रति सहित निर्वाह हेतु जारी हो। (जहॉं अनावेदक जिला मुख्यालय की सीमा से बाहर का निवासी हो वहॉं पंजीकृत ए.डी.डाक से निर्वाह का निर्देश दिया जाना चाहिये)।

अनावेदक का ई–मेल पता आवेदक ने उपलब्ध करवाया है अतः इस पते पर भी सूचनापत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय ई मेल से प्रतियों सहित जारी हो।

पत्रावली दिनांक .... को अनावेदक की उपस्थित, पक्ष प्रस्तुति, सुनवाई हेतु पेश हो। आवेदक उस दिन उपस्थित रहे।

अध्यक्ष **सदस्य 1** **सदस्य 2**

द्वितीय आदेश पत्रावली

अनावेदक के सूचनापत्र के निर्वाह पश्चात अनुपस्थित रहने की स्थिति

दिनांकः / /2020

आवेदक ....स्वयं/ की ओर से श्री ....

अनावेदक अनुपस्थित।

अनावेदक को साधारण/पंजीकृत डाक से जारी सूचना पत्र, जिसके साथ आवेदन व सहपत्रो की प्रति भी भेजी गयी थी,विधिपूर्ण रूप से निर्वाहित होकर प्राप्ति प्रस्तुत।

अनावेदक अनुपस्थित है अनावेदक की ओर से कोई अधिकृत प्रतिनिधि/ व्यक्ति भी उपस्थित नही है।

अतः अनावेदक की अनुपस्थिति के प्रकाश में मामले में अग्रिम कार्यवाही निरंतर की जा रही है। आवेदक की ओर से आवेदन के माध्यम से रखे गये पक्ष/बिंदु के संबंध में कोई सहमति प्राप्त नही हुई है।

अधिनियम की धारा 22 (ग–3)के प्रकाश में आवेदक से यह अपेक्षा की गयी की वे चाहे तो अपने पक्ष समर्थन में अतिरिक्त प्रपत्र,शपथपत्र प्रस्तुत कर सकते है।

अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण अधिनियम की धारा 22 (ग–4 से ग–7) के अनुसार सुलह कार्यवाही होना संभव नही है।

आवेदक आगामी तिथी पर अपने पक्ष समर्थन में अतिरिक्त प्रपत्र, शपथपत्र पर विवरण प्रस्तुत करे व अंतिम तर्क हेतु तत्पर रहे। पत्रावली अंतिम सुनवाई हेतु दिनांक............... को पेश हो।

अध्यक्ष **सदस्य 1** **सदस्य 2**

द्वितीय आदेश पत्रावली

अनावेदक के सूचनापत्र के निर्वाह पश्चात उपस्थिति पर

दिनांकः / /2020

आवेदक ....स्वयं/ की ओर से श्री .... उपस्थित।

अनावेदक संस्था की ओर से सक्षम प्राधिकारी........../अभिभाषक .... उपस्थित।

अनावेदक संस्था के उपस्थित अधिकारी/अभिभषाषक ने अधिकारपत्र/ अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया।

अनावेदक की ओर से लिखित जवाब/कथन व सहपत्र प्रस्तुत किये । नकल आवेदक पक्ष को प्रदान की गयी।

उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम 1987 की धारा 22 (ग–3) अनुसार मामले की प्रकृति, विवाद्यक के संबंध में अपने पक्ष में साक्ष्य के रूप मेें कोई शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहे, कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते है तो वे आगामी तिथी पर अनिवार्यतः प्रस्तुत करे।

आगामी तिथी पर आवेदक पक्ष व्यक्तिगत रूप से तथा अनावेदक पक्ष के सक्षम प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से सुलह कार्यवाही हेतु भी उपस्थित रहे।

पत्रावली अतिरिक्त पक्ष प्रस्तुति, सुलह कार्यवाही हेतु दिनांक .... को पेश हो।

अध्यक्ष सदस्य 1 सदस्य 2

तृतीय आदेश पत्रावली

अतिरिक्त पक्ष प्रस्तुति,सुलह कार्यवाही सुलह चर्चा में सुलह हो जाने की स्थिति में

दिनांकः / /2020

आवेदक .... स्वयं उपस्थित। उनकी ओर से .... अभिभावक भी उपस्थित।

अनावेदक के सक्षम प्राधिकारी.......................... उपस्थित। उनकी ओर से श्री .... अभिभावक भी उपस्थित है।

(उभयपक्षो ने यदि कोई अतिरिक्त अभिवचन, शपथपत्र, प्रपत्र प्रस्तुत किये हो तो उनके विवरण व प्रतिया प्रदान करने का उल्लेख)

उपस्थित पक्षों के मध्य प्रकट विवाद के संबंध में सुलह की कार्यवाही की गयी। ऐसी कार्यवाही के दौरान कार्यवाही स्वतंत्र व निष्पक्ष रीति से विषयपरक रूप से होना सुनिश्चित किया गया।

उभयपक्षों के मध्य विस्तार से हुई सुलह चर्चा के पश्चात उनके मध्य समझौते के ऐसे तत्व/आधार/बिंदू होना प्रकट पाये गये जो दोनो पक्षो को स्वीकार हो सकते है।

ऐसे सुलह के निबंधन पृथक से विरचित कर उभयपक्षो को परीशीलन के लिए दिये गये।

परीशीलन पश्चात उभयपक्षो ने तय निबंधनो के अनुरूप समझौता करने में सहमति स्वेच्छया,उपलब्ध विधिक सलाहकार से विचार पश्चात प्रकट की है।

ऐसी सहमति के आधार पर तैयार समझौते के निबंघनरुलेख अंतिम रूप में अभिलिखित किया जिस पर सहमत होने के पश्चात उभयपक्षो ने उस पर हस्ताक्षर किये।

ऐसे समझौता निबंधन/लेख के आधार पर पृथक से अधिनिर्णय पारित किया गया। अधिनिर्णय अनुसार निम्न निर्धारण किया गया ....

उभयपक्षो को अधिनिर्णय की एक एक सत्य प्रति निःशुल्क प्रदान की गयी।

पत्रावली पजी में परिणाम दर्ज कर नियमानुसार जमा की जावे।

अध्यक्ष **सदस्य 1** **सदस्य 2**

तृतीय आदेश पत्रावली

अतिरिक्त पक्ष प्रस्तुति,सुलह कार्यवाही सुलह चर्चा विफल हो जाने की स्थिति में

दिनांकः / /2020

आवेदक .... स्वयं उपस्थित।उनकी ओर से .... अभिभाषक भी उपस्थित।

अनावेदक के सक्षम प्राधिकारी........... उपस्थित। उनकी ओर से श्री .... अभिभाषक भी उपस्थित है।

(उभयपक्षों ने यदि कोई अतिरिक्त अभिवचन,शपथपत्र,प्रपत्र प्रस्तुत किये हो तो उनके विवरण व प्रतिया प्रदान करने का उल्लेख करें)

उपस्थित पक्षों के मध्य प्रकट विवाद के संबंध में सुलह की कार्यवाही की गयी। ऐसी कार्यवाही के दौरान कार्यवाही स्वतंत्र व निष्पक्ष रीति से विषयपरक रूप से होना सुनिश्चित किया गया।

उभयपक्षों के मध्य विस्तार से हुई सुलह चर्चा के पश्चात उन्होंने सुलह नही होने की स्थिति प्रकट की। उनके मध्य हुई सुलह चर्चा से उनके मध्य समझौते के निबंधन तय करने के कोई आधार नहीं पाये गये।

उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि आगामी नियत तिथी पर वे अंतिम तर्क प्रस्तुत करे/उभयपक्षों के अंतिम तर्क सुने गये।

पत्रावली अंतिम तर्क/अंतिम निर्धारण हेतु दिनांक .... को पेश हो।

अध्यक्ष **सदस्य 1** **सदस्य 2**

चतुर्थ आदेश पत्रावली

अंतिम अधिनिर्णय की

दिनांकः / /2020

आवेदक .... स्वयं/द्वारा अभिभावक श्री .... उपस्थित

अनावेदक के सक्षम प्राधिकारी......................../अभिभावक श्री .... उपस्थित। बहुमत के आधार पर पृथक से अधिनिर्णय पारित किया गया। अधिनिर्णय अनुसार आवेदक का आवेदन निम्नानुसार स्वीकार/अस्वीकार किया गया:–

............................(अधिनिर्णय/प्रदत्त सहायता का सार)

उभयपक्षों को अधिनिर्णय की एक एक सत्य प्रति निःशुल्क प्रदान की गयी।

अनावेदक पक्ष अधिनिर्णय में दिये गये निर्देशों का पालन विहित अवधि में सुनिश्चित करें।

पत्रावली पजी में परिणाम दर्ज कर नियमानुसार जमा की जावे।

अध्यक्ष सदस्य 1 सदस्य 2

आदेश पत्रावली

जहॉ आदेश/निर्देश का अभिवचन, दस्तावेज, शपथपत्र प्रस्तुति के निर्देश का पालन नही किया जाता है :-

दिनांकः / /2020

आवेदक .... स्वयं/द्वारा अभिभाषक श्री .... उपस्थित

अनावेदक के सक्षम प्राधिकारी..................................../अभिभाषक श्री .... उपस्थित।

पत्रावली के विगत तिथीयो के आदेश/निर्देश के पश्चात व अवसर दिये जाने के पश्चात भी ऐसे निर्देश का पालन नही किया गया है आज भी इस अपालन का कोई उचित,पर्याप्त कारण प्रकट नही है।

इन परिस्थितियों में अनावेदकपक्ष को इस आशय का सूचना पत्र दिया जावे कि ऐसे दस्तावेजों के अप्रकटीकरण के आधार पर क्यों न व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32 के अंतर्गत 500 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा।

अनावेदक के सक्षम प्राधिकारी आगामी तिथी पर अनिवार्यतः उपस्थित भी रहेंगे।

पत्रावली निर्देश के पालन में प्रपत्रो/शपथपत्र की प्रस्तुति, अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक........... को पेश हो

अध्यक्ष सदस्य 1 सदस्य 2